



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 156]
No. 156]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2011/श्रावण 10, 1933
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2011/SRAVANA 10, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2011

फा.सं. 2-15015/30/2010 (अ) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खण्ड (इ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, जहां तक वे खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 से संबंधित हैं, बनाने का प्रस्ताव करता है, और;

विनियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खण्ड 4 में तारीख 20 अक्टूबर, 2010 को पृष्ठ 1 से 776 में समेकित रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, से तीन दिन की अवधि समाप्त होने से पहले, उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां 21 अक्टूबर, 2010 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पणधारियों से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है।

अतः, अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट)

विनियम, 2011

अध्याय 1

साधारण

1.1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.1.1 : इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 है।

1.1.2 : ये विनियम, 5 अगस्त, 2011 को या इसके पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

1.2 : परिभाषाएं—

1. "फसल संदूषक" से ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो खाद्य पदार्थ में ज्ञानबूझ कर मिश्रित नहीं किया जाता बल्कि जो उनके उत्पादन (फसल पालन, पशुपालन और पशु औषधि में किए गए प्रचालनों सहित), विनिर्माण, प्रसंस्करण, तैयारी, उपचार, पैकेजिंग, पैकेजिंग, परिवहन या पर्यावरणीय संदूषण के परिणामस्वरूप ऐसे खाद्य पदार्थ संचालने की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों में मिश्रित हो जाता है।

अध्याय 2

संदूषक, आविष और अवशिष्ट

2.1 : धातु संदूषक

2.1.1

(1) भारतीय भेषज कोष के मोनोग्राफ में वर्णित रसायनों में जब उनका खाद्य में उपयोग किया जाए, उत्समय प्रयुक्त भारतीय भेषज कोष के समुचित मोनोग्राफों में विनिर्दिष्ट सीमा के परे धातु संदूषक अवशिष्ट नहीं होंगे।

(2) विनियम 2.1.1(1) के उपबंधों के होते हुए भी, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट खाद्य की किसी सामग्री में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक कोई विनिर्दिष्ट धातु नहीं होगी :

सारणी

संदूषक धातु का नाम	खाद्य पदार्थ	भारानुसार भस्म प्रति दस लाख
(1)	(2)	(3)
1. सीसा	(i) पेय : सांद्रित मृदु पेय (किंतु इसके अंतर्गत मृदु पेयों के विनिर्माण में, प्रयुक्त सांद्र नहीं है)	0.5
	फल और सब्जी रस (जिसके अंतर्गत टमाटर रस भी है किंतु इसके अंतर्गत लहसुन जूस और नीम्बू का रस नहीं है)	1.0
	मृदु पेयों, लाइम जूस, और नीम्बू रस के विनिर्माण में प्रयुक्त सांद्र	2.0
	(i-क) बेकिंग पाउडर	10
	(i-ख) खाद्य तेल और वसा	0.5
	(i-ग) शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु आहार	0.2
	(i-घ) हल्दी सज्जत और चूर्ण	10.0
	(ii) अन्य खाद्य	
	एनहाइड्रस, डेकट्रोस मोनोहाइड्रेट खाद्य तेल और वसा, परिष्कृत सोयाबीन चिकनी सल्फेटोयुक्त भस्म	
	तत्त्व (0.3 प्रतिशत से अधिक न हो)	0.5
	आईसक्रीम, आर्शर लोली और ऐसे ही जमाए हुए कन्फेक्शन	1.0

(1)	(2)	(3)
	डिब्बाबंद मछली, डिब्बाबंद मांस, खाद्य जिलेटिन, मांस सारतत्व और हाइडालीकृत प्रोटीन खुला या निर्जलित सब्जी (प्याज से भिन्न)	5.0
	सभी प्रकार की चीनी, चीनी का सिरप, इन्वर्ट चीनी और सीधे उपयोग की रजित चीनी जिसमें सल्फेटिकृत भस्म तत्व 1.0 प्रतिशत से अधिक है।	5.0
	कच्ची चीनी, उसको छोड़कर जो सीधे उपयोग के लिए बेची जाती है या परिष्कृत चीनी के विनिर्माण से भिन्न विनिर्माण प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है।	5.0
	खाद्य सिरा, केरोमेल, द्रव और ठोस ग्लूकोस और स्टार्च कन्वर्जन उत्पाद जिसमें 1.0 प्रतिशत से अधिक सल्फेटिकृत भस्म तत्व हैं	5.0
	कोको पाउडर	5.0 शुष्क वसा मुक्त पदार्थ पर
	खमीर और खमीर उत्पाद	5.0 शुष्क पदार्थ पर
	चाय, निर्जलित प्याज, सूखी हर्ब और मसाले, सुरुचिकारक, अल्जीनीक अम्ल, एल्डीनेट्स, अगर, केरागीन और अन्य उत्पाद जो समुद्री शैवाल से प्राप्त किए गए हैं।	10.0 सूखे पदार्थ पर
	द्रव पैक्टिन, रसायन जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है, किंतु खाद्य के संघटक के रूप में या उसकी निर्मिति में या उसके प्रसंस्करण में प्रयोग किए जाते हैं।	10.0
	केरोमेल से भिन्न खाद्य रजक	10.0 सूखी रजक सूक्ष्म पर
	ठोस पैक्टिन	5.0
	हार्ड बयॉल्लड शुगर कम्पैक्शनरी	2.0
	लौह प्रबलित सामान्य नमक	2.0
	कार्नेड बीफ, लंचन मीट, कुक्कड हैम, चोपड मीट, डिब्बाबंद चिकन, डिब्बाबंद मटन और गोड मीट तथा अन्य संबंधित मीट उत्पाद।	2.5
	क्रिष्णित विनेगार और सश्लिष्ट विनेगार	5.0
	(iii) खाद्य जो विनिर्दिष्ट नहीं है	2.5
2	छांदा	
	(i) पेय :	
	मूदु पेय, सांद्र और कार्बनिकृत जल को छोड़कर	7.0
	कार्बनिकृत जल	1.5
	ताड़ी	5.0
	मूदु पेयों के लिए सांद्र	20.0
	(ii) अन्य खाद्य	
	सूखी और भूनी हुई कासनी, काफी की फली, सुरुचिकारक/पैक्टिन द्रव	30.0
	द्रव रजक	30.0 सूखे रजक पदार्थ पर

(1)	(2)	(3)
	खाद्य जिलेटिन	30.0
	टमाटर केचअप	50.0 सूखे पदार्थ पर
	खमीर और खमीर उत्पाद	60.0 सूखे पदार्थ पर
	कोका चूर्ण	70.0 वसा मुक्त पदार्थ
	टमाटर प्यूरी, पेस्ट, चूर्ण, रस तथा कोकटेल	100.0 सूखे टमाटर ठोस पर
	चाय	150.0
	पैक्टिन ठोस	300.0
	हार्ड बॉइलड शुगर कन्फैक्शनरी	5.0
	लौह प्रबलित सामान्य नमक	2.0
	हल्दी साबुत और चूर्ण	5.0
	संतरे, अंगूर, सेब, टमाटर, अनानास और नींबू का रस	5.0
	किसी फल का गूदा और गूदा उत्पाद	5.0
	शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु आहार	15.0 (किंतु 2.8 से कम नहीं)
	किण्वित विनेगार और संश्लिष्ट विनेगार	शून्य
	धुनी शक्कर	20
	(iii) खाद्य जो विनिर्दिष्ट नहीं है	30.0
3. आर्सेनिक	(i) दूध	0.1
	(ii) पेय :	
	कार्बनिकृत जल को छोड़कर तनुकरण के पश्चात् उपभोग के लिए आशयित मृदु पेय	0.5
	कार्बनिकृत जल	0.25
	शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु आहार	0.05
	हल्दी साबुत और चूर्ण	0.1
	संतरे, अंगूर, सेब, टमाटर, अनानास और नींबू का रस	0.2
	किसी फल का गूदा और गूदा उत्पाद	0.2
	परिरक्षी प्रति आक्सीकारक, पायसीकारक और स्थायीकारक और कृत्रिम खाद्य रंग	3.0 सूखी सामग्री पर
	आईसक्रीम, आईस लोली और ऐसे ही जमाए हुए कन्फैक्शन	0.5
	निर्जलीकृत प्याज, खाद्य जिलेटिन, द्रव पैक्टिन	2.0
	कासनी सूखी या भूनी हुई	4.0
	सूखी हर्ब, फाईनिंग और स्वच्छलाकारक अभिकर्मक और सभी ग्रेड के ठोस पैक्टिन, अभिकर्मक, मसाले	5.0

(1)	(2)	(3)
	कृत्रिम रंजक से भिन्न खाद्य रंग	5.0 सूखे रंजक पदार्थ पर
	हार्ड बॉइलड शुगर कन्फैक्शरी	1.0
	लौह प्रबलित सामान्य नमक	1.0
	किण्वित विनेगार और सरिलिष्ट विनेगार-	0.1
	(iii) खाद्य जो विनिर्दिष्ट नहीं है	1-1,
4 टिन	(i) प्रसंस्कृत और डिब्बाबंद उत्पाद	250.0
	(i-क) हार्ड बॉइलड शुगर कन्फैक्शनरी	5.0
	(i-कक) जैम, जैली और मारमलाड	250
	संतरे, सेब, टमाटर, अनानास और नींबू का रस	250
	किसी फल का गूदा और गूदे का उत्पाद	250
	(i-ख) शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु आहार	5.0
	(i-ग) हल्दी साबुत और चूर्ण	शून्य
	(i-घ) कार्नाडबीफ, लंचन मीट, कुकड हैम, चोप मीट, डिब्बाबंद चिकन, डिब्बाबंद मटन और बकरे का मीट तथा अन्य संबंधित मीट उत्पाद	250
	(ii) खाद्य जो विनिर्दिष्ट नहीं है	250
5 जस्ता	(i) पीने के लिए तैयार पेय	5.0
	संतरे, अंगूर, टमाटर, अनानास और नींबू का रस	5.0
	किसी फल का गूदा और गूदे का उत्पाद	5.0
	(i-क) शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु आहार	50.0 (किंतु 25.0 से कम नहीं)
	(ii) खाद्य जिलेटिन	100.0
	(ii-क) हल्दी साबुत और चूर्ण	25.0
	(iii) फल और शाक उत्पाद	50.0
	(iii-क) हार्ड बॉइलड शुगर कन्फैक्शनरी	5.0
	(iv) खाद्य जो विनिर्दिष्ट नहीं है	50.0
6. कैडमियम	(i) शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु आहार	0.1
	(iii) हल्दी साबुत और चूर्ण	0.1
	(iii) अन्य खाद्य	1.5
7. पारद	मछली	0.5
	अन्य खाद्य	1.0

(1)	(2)	(3)
8.	मेथिल पारद सभी खाद्य (मूल बत्त रूप में प्रकल्पित)	0.25
9.	क्रोमियम रिफाईंड चीनी	20 प्रति दस लाख भाग
10.	निकल सभी हाइड्रोजनीकृत आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत, इटस्ट्रीफाईड बनेस्सति तेल और वसा जैसे वनस्पति, टेबल मारगरीन, बेकरी और औद्योगिक मारगरीन, बेकरी - अवकुचन, फ्रैट प्रेड और आंशिक रूप हाइड्रोजनीकृत सोयाबीन का तेल	1.5

2.2 : फसल संदूषक और प्राकृतिक रूप से आने वाले विषैले पदार्थ

2.2.1

(1) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई ऐसा फसल संदूषक, जो स्तम्भ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उन मात्रों से अधिक नहीं होगा जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं :

सारणी

क्र.सं.	संदूषकों का नाम	खाद्य पदार्थ	यू.जी./कि.ग्रा.सीमा
1.	एप्लेटोक्सिन	सभी खाद्य पदार्थ	30
2.	एप्लेटोक्सिन एम	दूध	0.5
3.	पटुलिन	सेब का जूस और अन्य पेयों में सेब के जूस के संघटक	50
4.	ऑक्राटोक्सिन ए	गेहूँ, जौ और शई	20

(2) प्राकृतिक रूप से आने वाले विषैले पदार्थ :

नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट विषैले पदार्थ जो किसी खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रूप से आएँ, उस सीमा से अधिक नहीं होंगे जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं :

क्र.सं.	पदार्थ का नाम	अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	अमरक अम्ल	100 भाग प्रति दस लाख
2.	हाइड्रोसाइनिक अम्ल	5 भाग प्रति दस लाख
3.	हाइपेसिन	1 भाग प्रति दस लाख
4.	सेफरेल	10 भाग प्रति दस लाख

2.3 : अवशिष्ट

2.3.1 : कीटनाशियों के उपयोग पर निर्बंधन :

(1) विधियम 2.3.1 (ii) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खाद्य पदार्थों पर किसी कीटनाशी का सीधे प्रयोग नहीं किया जाएगा :

परंतु इस विनियम की कोई भी बात उन घूमकों को लागू नहीं होगी जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 5 के अधीन, सटित रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा खाद्य पदार्थों पर उस रूप में प्रयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं और जिनकी सिफारिश की गई है।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित खाद्यों में स्तम्भ (2) में उल्लिखित कीटनाशियों की मात्रा, स्तम्भ (4) में उल्लिखित सहाय सीमा से अधिक नहीं होगी।

क्र.सं.	कीटनाशी का नाम	खाद्य	सह्यता सीमा मि.ग्रा./ कि.ग्रा. (भा.प्र.द.ला)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पेल्डिन, डील्डिन (यह सीमा एल्डिन और डील्डिन पर अकेले या संयुक्त रूप से लागू होती है तथा उन्हें डील्डिन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है)	खाद्यान्न	0.01
		खाद्यान्न क्यूटे-पीसे	शून्य
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.15 (वसा के आधार पर)
		फल और शाक	0.1
		मसि	0.2
		अंडे	0.1 (छिलका रहित आधार पर)
2.	कारबोरेंस	मछली	0.2
		खाद्यान्न	1.5
		खाद्यान्न क्यूटे-पीसे	शून्य
		भिण्डी और फलों वाले शाक	10.0
		आलू	0.2
		अन्य शाक	5.0
		बिनौला (पूरा)	1.0
		सिटल	1.0
		मक्का	0.50
		बाजरा	2.50
		जई	5.00
3.	क्वैथीन (अवशिष्ट सिक्वैथिन और ट्रांसक्वैथीन के रूप में मापा जाएगा)	खाद्यान्न	0.02
		खाद्यान्न क्यूटे-पीसे	शून्य
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.05 (वसा के आधार पर)
		शाक	0.2
		फल	0.1
		चूल्हा	0.3
4.	डी.डी.टी. (डी.डी.टी., डी.डी.टी. और डी.डी.टी. पर अकेले या संयुक्त रूप से लागू होती है)	दूध और दुग्ध उत्पाद	1.25 (वसा के आधार पर)
		फल और शाक, आलू सहित	3.5

(1)	(2)	(3)	(4)
		मांस कुक्कुट और मछली	7.0 (कुल उत्पाद के आधार पर)
		अंडे	0.5 (छिलका रहित आधार पर)
5.	डी.डी.टी. (एकल)	कार्बनिकृत जल	0.001
6.	डी.डी.डी. (एकल)	कार्बनिकृत जल	0.001
7.	डी.डी.ई. (एकल)	कार्बनिकृत जल	0.001
8.	डायोजिनान	खाद्यान्न	0.05
		खाद्यान्न कुट-पीसे	शून्य
		शाक	0.5
9.	डाइक्लोरस (जहां सीव हो डाइक्लोरो- एसेटेएलडिहाइड (डी.सी.ए.) अंश भी दिया जाएगा)	खाद्यान्न	1.0
		कुटा पिसा खाद्यान्न	0.25
		शाक	0.15
		फल	0.1
10.	डाइकोफोल	फल और शाक	5.0
		चाय (सूखी त्रिनिमित)	5.0
		मिर्च	1.0
11.	डाइमेथेएट (अवशिष्ट को डाइमेथेएट के रूप में अवधारित किया जाएगा और उसे डाइमेथेएट के रूप में व्यक्त किया जाएगा)	फल और शाक	2.0
		मिर्च	0.5
12.	एंडोसल्फेन (अवशिष्टों को एंडोसल्फेन ए और बी तथा एंडोसल्फेन सल्फेट के कुल योग के रूप में मापा और व्यक्त किया जाएगा)	फल और शाक	2.0
		बिनौला	0.5
		बिनौला तेल(अपरिष्कृत)	0.2
		बंगाल चना	0.20
		हरा मटर	0.10
		मछली	0.20
		मिर्च	1.0
		इलायची	1.0
13.	एंडोसल्फेन ए	कार्बनिकृत जल	0.001
14.	एंडोसल्फेन बी	कार्बनिकृत जल	0.001

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	एंडोसल्फेन -सल्फेट	कार्बनिकृत	0.001
16.	फेनिट्रोथियान	खाद्यान्न	0.02
		कुटे-पिसे खाद्यान्न	0.005
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.05 (वसा के आधार पर)
		फल	0.5
		शाक	0.3
		मांस	0.03
17.	हैप्टाक्लोर (हैप्टाक्लोर और उसके इपाक्साइड की सम्मिलित अवशिष्टियों को हैप्टाक्लोर के रूप में अवधारित और व्यक्त किया जाएगा)	खाद्यान्न	0.01
		कुटे-पिसे खाद्यान्न	0.002
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.15 (वसा के आधार पर)
		शाक	0.05
18.	हाइड्रोजन साइनाइड	खाद्यान्न	37.5
		कुटे-पिसे खाद्यान्न	3.0
19.	हाइड्रोजन फासफाइड	खाद्यान्न	शून्य
		कुटे-पिसे खाद्यान्न	शून्य
20.	अकार्बनिक ब्रोमाइड (सभी स्रोतों से कुल ब्रोमाइड के रूप में अवधारित और व्यक्त)	खाद्यान्न	25.0
		कुटे-पिसे खाद्यान्न	25.0
		फल	30.0
		सूखे फल	30.0
		मसाले	400.00
21.	हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और आइसोमर		
	(क) अल्फा (α) आइसोमर	चावल दाना बिना पालिश किया हुआ	0.10
		चावल दाना पालिश किया हुआ	0.05
		दूध (पूर्ण)	0.025
		फल और शाक	1.00
		मछली	0.25
		कार्बनिकृत जल	0.001
	(ख) बीटा (β) आइसोमर	चावल दाना बिना पालिश किया हुआ	0.10
		चावल दाना पालिश किया हुआ	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)
		दूध (पूर्ण)	0.02
		फल और शाक	1.00
		मछली	0.25
		कार्बनिकृत जल	0.001
	(ग) गामा (γ) आइसोमर लिंडेन के रूप में जाना जाता है	चावल को छोड़कर खाद्यान्न	0.10
		खाद्यान्न कुटे-पीसे	शून्य
		चावल दाना बिना पालिश किया हुआ	0.10
		चावल दाना पालिश किया हुआ	0.05
		दूध	0.01 (पूर्ण आधार पर)
		दुग्ध उत्पाद	0.20
		दुग्ध उत्पाद (दो प्रतिशत से कम वसा)	0.20 (पूर्ण आधार पर)
		फल और शाक	1.00
		मछली	0.25
		अंडे	0.10 (छिलका रहित आधार पर)
		मांस और कुक्कुट	2.00 (पूर्ण आधार पर)
		कार्बनिकृत जल	0.001
	(घ) डेल्टा (δ) आइसोमर	चावल दाना बिना पालिश किया हुआ	0.10
		चावल दाना पालिश किया हुआ	0.05
		दूध (पूर्ण)	0.02
		फल और शाक	1.00
		मछली	0.25
		कार्बनिकृत जल	0.001
22.	मेलाथियान (मेलाथियान को मेलाथियान और मेल आक्सान की सम्मिलित अवशिष्टियों के रूप में अवधारित और व्यक्त किया जाएगा)	खाद्यान्न	4.0
		कुटे-पीसे खाद्यान्न	1.0
		फल	4.0
		शाक	3.0
		सूखे फल	8.0
		कार्बनिकृत जल	0.001

(1) · (2)	(3)	(4)
23. पैराथियान (पैराथियान और पैरा आक्सान की सम्मिलित अवशिष्टियों को पैराथियान के रूप में अवधारित और व्यक्त किया जाएगा)	फल और शाक	0.5
24. पैराथियान मैथिल (पैराथियान मैथिल और उसके आक्सीजन अनुरूप की सम्मिलित अवशिष्टियों को पैराथियान मैथिल के रूप में अवधारित और व्यक्त किया जाएगा)	फल	0.2
	शाक	1.0
25. फास्फ एमाइडन अवशेष (फास्फ एमाइडन और उसके डिसेथाइल व्युत्पन्नों के योग के रूप में अभिव्यक्त)	खाद्यान्न	0.05
	कुटे-पीसे खाद्यान्न	शून्य
	फल और शाक	0.2
26. पाइरेथिन (पाइरेथिन I और II तथा पाइरेथिन के अन्य संरचनात्मक रूप से संब) कीटनाशीय संघटकों का योग)	खाद्यान्न	शून्य
	कुटे-पीसे खाद्यान्न	शून्य
	फल और शाक	1.0
27. क्लोरीएनविनफोस (अवशिष्टों को क्लोरीएन-विनफोस के अल्फा और बिटा आइसोमर के रूप में मापा जाएगा)	खाद्यान्न	0.025
	कुटे-पीसे खाद्यान्न	0.006
	दूध और दुग्ध उत्पाद	0.2 (वसा के आधार पर)
	मांस और कुक्कुट	0.2 (कार्कस वसा)
	शाक	0.05
	मूंगफली	0.05 (छिलका रहित आधार पर)
	बिनौला	0.05
28. क्लोरो बैंजीलेट	फल	1.0
	सूखे फल, बादाम और अखरोट	0.2 (छिलका रहित आधार पर)
29. क्लोरपाइरिफोस	खाद्यान्न	0.05
	कुटे-पीसे खाद्यान्न	0.01
	फल	0.5
	आलू और प्याज	0.01
	फूल गोभी और पत्ता गोभी	0.01
	अन्य शाक	0.2

(1)	(2)	(3)	(4)
		मांस और कुक्कुट	0.1 (कार्कस वसा)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.01 (वसा के आधार पर)
		बिनौला	0.05
		बिनौला तेल (अपरिष्कृत)	0.025
		कार्बनिकृत जल	0.001
30.	2, 4डी	खाद्यान्न	0.01
		कुटे-पीसे खाद्यान्न	0.003
		आलू	0.2
		*दूध और दुग्ध उत्पाद	0.05
		*मांस और कुक्कुट	0.05
		अंडे	0.05 (छिलका रहित आधार पर)
		फल	2.0
31.	इथिओन (अवशिष्टों का इथिओन और इसके आक्सीजन अनुरूप के रूप में अवधारित और इथिओन के रूप में व्यक्त किया जाएगा)	चाय (सूखी विनिर्मित)	5.0
		खीरा और स्कवैश	0.5
		अन्य शाक	1.0
		बिनौला	0.5
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.5 (वसा के आधार पर)
		मांस और कुक्कुट	0.2 (कार्कस वसा के आधार पर)
		अंडे	0.2 (छिलका के आधार पर)
		खाद्यान्न	0.025
		कुटे-पीसे खाद्यान्न	0.006
		आड़ू	1.0
		अन्य फल	2.0
		सूखे फल	0.1 (छिलके रहित के आधार पर)
32.	फार्मोथिओन (डाइमथेएटो और इसके आक्सीजन अनुरूप के रूप में अवधारित और डाइमथेएटो के रूप में व्यक्त किया जाएगा सिवाय इसके कि सिट्रस फल के मामले में जहां इसे फार्मोथियोन के रूप में अवधारित किया जाएगा)	सिट्रस फल	0.2
		अन्य फल	1.0
		शाक	2.0

(1)	(2)	(3)	(4)
		काली मिर्च और टमाटर	1.0
33.	मोनोक्रोमोफोस	खाद्यान्न	0.025
		कुटे पीसे खाद्यान्न	0.006
		सिट्रल फल	0.2
		अन्य फल	1.0
		गांजर, शलगम आलू और चुकन्दर	0.05
		प्याज और मटर	0.1
		अन्य शाक	0.2
		बिनौला	0.1
		बिनौला तेल (कच्चा)	0.05
		मांस और कुक्कुट	0.02
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.02
		अंडा	0.02 (छिलका रहित आधार पर)
		काफ़ी (कच्ची फलियाँ)	0.1
		मिर्च	0.2
		इलायची	0.5
34.	पैराक्वेट डाइक्लोराइड (पैराक्वेट धवायन के धनायन पर अवधारित)	खाद्यान्न	0.1
		कुटे पीसे खाद्यान्न	0.025
		आलू	0.2
		अन्य शाक	0.05
		बिनौला	0.2
		बिनौला तेल (खाद्य परिष्कृत)	0.05
		दूध (पूर्ण)	0.01
		फल	0.05
35.	फोसालोन	नाशपाती	2.0
		सिट्रस फल	1.0
		अन्य फल	5.0
		आलू	0.1
		अन्य शाक	1.0
		रेपसीड तेल/सरसों तेल (अपरिष्कृत)	0.05

(1) (2)	(3)	(4)
36. ट्राइक्लोरोफोन	खाद्यान्न	0.05
	कुटे पीसे खाद्यान्न	0.0125
	चुकन्दर	0.05
	फल और शाक	0.1
	तिलहन	0.1
	खाद्य तेल (परिष्कृत)	0.05
	मांस और कुक्कुट	0.1
	दूध (पूर्ण)	0.05
37. थियोमेटन (अवशिष्टों को थियामेटन सल्फाक्साइड और सल्फोन के रूप में अवधारित और थियोमेटन के रूप में व्यक्त किया जाएगा)	खाद्यान्न	0.025
	कुटे पीसे खाद्यान्न	0.006
	फल	0.5
	आलू, गाजर और चुकन्दर	0.05
	अन्य शाक	0.5
38. ऐसिफेट	कुसुम्भ	2.0
	बिनौला	2.0
39. मेथीमाडोफोस (ऐसिफेट का चयापचित)	कुसुम्भ	0.1
	बिनौला	0.1
40. एल्डीकार्ब (एल्डीकार्ब, उसके सल्फोक्साइड और सल्फोन का योग, जो एल्डीकार्ब के रूप में अभिव्यक्त हो)	आलू	0.5
	चबाने का तम्बाकू	0.1
41. ऐट्रेजाइन	भुट्टा	शून्य
	गन्ना	0.25
42. कार्बेण्डेजिम	खाद्यान्न	0.50
	कुटे पीसे खाद्यान्न	0.12
	सब्जियां	0.50
	आम	2.00
	केला (संपूर्ण)	1.00
	अन्य फल	5.00
	बिनौला	0.10
	मूंगफली	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)
		चुकन्दर	0.10
		मेवे (सूखे फल)	0.10
		अंडे	0.10 (छिलकारहित आधार पर)
		मांस और कुक्कुट	0.10 (कार्कस वसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.10 (वसा के आधार पर)
43.	बेनोमिल	खाद्यान्न	0.50
		कुटे पीसे खाद्यान्न	0.12
		सब्जियां	0.50
		आम	2.00
		केला (संपूर्ण)	1.00
		अन्य फल	5.00
		विनोला	0.10
		मूंगफली	0.10
		चुकन्दर	0.10
		सूखे फल	0.10
		अंडे	0.10 (छिलकारहित आधार पर)
		मांस और कुक्कुट	0.10 (कार्कस वसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.10 (वसा के आधार पर)
44.	कैपटेन	फल और सब्जियां	15.00
45.	कार्बोफूरन (कार्बोफूरन और 3-हाइड्रोक्सी कार्बोफूरन का योग जिसे कार्बोफूरन के रूप में व्यक्त किया गया है)	खाद्यान्न	0.10
		कुटे पीसे खाद्यान्न	0.03
		फल और सब्जियां	0.10
		तिलहन	0.10
		गन्ना	0.10
		मांस और कुक्कुट	0.10 (कार्कस वसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.05 (वसा के आधार पर)
46.	ताम्र आक्सीक्लोराइड (ताम्र के रूप में अवधारित) फल		20.00
		आलू	1.00
		अन्य सब्जियां	20.00

(1)	(2)	(3)	(4)
47.	साइपरमैथिरिन (आइसोमर का योग) (बसा विलेय अवशिष्ट)	गेहूँ के दाने	0.05
		कूटे पिसे गेहूँ के दाने	0.01
		बैंगन	0.20
		बंद गोभी	2.00
		पिंडी	0.20
		मूंगफली को छोड़कर तिलहन	0.20
		मांस और कुककुट	0.20 (कार्कस बसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.01 (बसा के आधार पर)
48.	डेकामेथ्रिन/डेल्टामेथ्रिन	बिनौला	0.10
		खाद्यान्न	0.50
		कूटे पिसे खाद्यान्न	0.20
		चावल	0.05
49.	एडीफेनफोस	चावल	0.02
		चावल भूसी	1.00
		अंडे	0.01 (छिलका रहित के आधार पर)
		मांस और कुककुट	0.02 (कार्कस बसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.01 (बसा के आधार पर)
50.	फेनथिऑन (फेनथिऑन, उसके आक्सीजन अनुषंगी उनके सल्फोक्साइडों और सल्फोनों का यो, जिन्हें फेनथिऑन के रूप में व्यक्त किया गया है)	खाद्यान्न	0.10
		कूटे पिसे खाद्यान्न	0.03
		प्याज	0.10
		आलू	0.05
		फलियाँ	0.10
		मटर	0.50
		टमाटर	0.50
		अन्य सब्जियाँ	1.00
		खरबूजा	2.00
		मांस और कुककुट	2.00 (कार्कस बसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.05 (बसा के आधार पर)

(1)	(2)	(3)	(4)
51.	फैनबैलरेट (वसा विलेय अवशिष्ट)	फूल गोभी	2.00
		बैंगन	2.00
		भिंडी	2.00
		बिनौला	0.20
		बिनौला तेल	0.10
		मांस और कुक्कुट	1.00 (कार्कस वसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.01 (वसा के आधार पर)
52.	डाइथायोकार्बोमेट (अवशिष्ट सह्यता सीमाएं अवधारित की जाती हैं और मि.ग्रा./सीएस2/कि.ग्रा. के रूप में व्यक्त की जाती हैं और डाइथायोकार्बोमेट के किन्हीं या प्रत्येक समूहों से व्युत्पन्न अवशिष्टों को पृथक्-पृथक् निर्दिष्ट करके)	खाद्यान्न	0.20
	(क) फेरबैम या जीरम के उपयोग से परिणामी डाइमेथिल डाइथायोकार्बोमेट अवशिष्ट और	कूटे पिसे खाद्यान्न	0.05
		आलू	0.10
		टमाटर	3.00
		चेरी	1.00
	(ख) मनकोजेब, मैनोब या जिनेब (जिसके अंतर्गत जो नाबेम थन जिक सलफेट से व्युत्पन्न जिनेब भी है) के उपयोग से परिणामी ऐथिलोन द्वितसडाइथायो कार्बोमेट	अन्य फल	3.00
	(ग) मैनकोजेब	मिर्च	1.0
53.	फेनथेपट	खाद्यान्न	0.05
		कूटे पिसे खाद्यान्न	0.01
		तिलहन	0.03
		खाद्य तेल	0.01
		अंडे	0.05 (छिलका रहित के आधार पर)
		मांस और कुक्कुट	0.05 (कार्कस वसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.01 (वसा के आधार पर)
54.	फ़ोरेट (फ़ोरेट उसके आक्सीजन अनुष्ण और उनके सल्फाइड तथा सल्फोन का योग जिन्हें फ़ोरेट के रूप में व्यक्त किया गया है)	खाद्यान्न	0.05
		कूटे पिसे खाद्यान्न	0.01
		टमाटर	0.10
		अन्य सब्जियां	0.05
		फल	0.05
		तिलहन	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)
		खाद्य तेल	0.03
		गन्ना	0.05
		अंडे	0.05 (छिलका रहित के आधार पर)
		मांस और कुक्कुट	0.05 (कार्कस वसा के आधार)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.05 (वसा के आधार पर)
55.	सिमाजाइन	मक्का	शून्य
		गन्ना	0.25
56.	पिरिमिफोस - मेथिल	चावल	0.50
		चावल को छोड़कर खाद्यान्न	5.00
		चावल को छोड़कर कूटे पिसे खाद्यान्न	1.00
		अंडे	0.05 (छिलका रहित के आधार पर)
		मांस और कुक्कुट	0.05 (कार्कस वसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.05 (वसा के आधार)
57.	अलकलोर	बिनौला	0.05
		मूंगफली	0.05
		मक्का	0.10
		सोयाबीन	0.10
58.	अल्फानेफथाइल एसिटिक अम्ल (एएनए)	अनानास	0.50
59.	बाइटरटानोल	गेहूं	0.05
		मूंगफली	0.10
60.	केप्टाफोल	टमाटर	5.00
61.	कार्टाफाइड्रोक्लोराइड	चावल	0.50
62.	क्लोस्मेक्वेटक्लोराइड	अंगूर	1.00
		बिनौला	1.00
63.	क्लोरोथालोनिल	मूंगफली	0.10
		आलू	0.10
64.	डाईफ्लूबेंजूरान	बिनौला	0.20
65.	डोडाइन	सेब	5.00
66.	डाईयूरान	बिनौला	1.00
		केला	0.10
		मक्का	0.50

(1) (2)	(3)	(4)
	सिटर्स (मीठा संतरा)	1.00
	अंगूर	1.00
67. एथिफोन	अनानास	2.00
	कॉफी	0.10
	टमाटर	2.00
	आम	2.00
68. फ्लूक्लोरालिन	बिनौला	0.05
	सोयाबीन	0.05
69. मैलिक हाइड्राजाइड	प्याज	15.00
	आलू	50.00
70. मेटालाइक्सिल	बाजरा	0.05
	मक्का	0.05
	सोर्गम	0.05
71. मिथोमाइल	बिनौला	0.10
72. मिथाइल क्लोरो-फिनोक्सी-एसेटिक अम्ल (एम.सी.पी.ए.)	चावल	0.05
	गेहूं	0.05
73. ओक्साडायाजोन	चावल	0.03
74. ओक्सिडिमेटोन मिथाइल	खाद्यान्न	0.02
75. पर्मिथ्रिन	खीरा	0.50
	बिनौला	0.50
	सोयाबीन	0.05
	सूरजमुखी का बीज	1.00
76. व्यूनोलफोस	चावल	0.01
	अरहर	0.01
	ईलाइची	0.01
	चाय	0.01
	मछली	0.01
	मिर्च	0.2
77. थियोफेनाटेमिथाइल	सेब	5.00
	पपीता	7.00
78. ट्रायाजोफोस	मिर्च	0.2
	चावल	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)
		बिनौले का तेल	0.1
		सोयाबीन का तेल	0.05
79.	प्रोफेनोफोस	बिनौले का तेल	0.05
80.	फेनप्रोपेथरीन	बिनौले का तेल	0.05
81.	फेनारिमोल	सेब	5.0
82.	हेक्साकोन्जाजोल	सेब	0.1
83.	आइप्रोडायोन	रेप सीड	0.5
		सरसो के बीज	0.5
		चावल	10.0
		टमाटर	5.0
		अंगूर	10.0
84.	ट्राइडिमोर्फ	गेहूँ	0.1
		अंगूर	0.5
		आम	0.05
85.	पेन्कोनाजोल	अंगूर	0.2
86.	प्रोपिकोनाजोल	गेहूँ	0.05
87.	माइक्लोबूटानिल	मूंगफली के बीज	0.1
		अंगूर	1.0
88.	सल्फोसल्फ्यूरोन	गेहूँ	0.02
89.	ट्राइफ्लुरालिन	गेहूँ	0.05
90.	इथोक्सीसल्फ्यूरोन	चावल	0.01
91.	मेटोलाक्लोरो	सोयाबीन का तेल	0.05
92.	ग्लाइफासफेट	चाय	1.0
93.	लिनूरोन	मटर	0.05
94.	ऑक्सफ्लूआफेन	चावल	0.05
		मूंगफली का तेल	0.05
95.	कार्बोसल्फान	चावल	0.2
96.	ट्राइसाइक्लाजोल	चावल	0.02
97.	इमिडाक्लोप्रिड	बिनौले का तेल	0.05
		चावल	0.05
98.	ब्यूटाक्लोरो	चावल	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)
99.	क्लोरिन्दूरोन-ईथाइल	गेहूँ	0.05
100.	डिक्लोफोप मिथाइल	गेहूँ	0.1
101.	मेट्रिब्यूजिन	सोयाबीन का तेल	0.1
102.	लेम्बडासाईहलोप्रिन	बिनौले का तेल	0.05
103.	फेनाजाक्यून	चाय	3.0
104.	पेन्डिमैथालिन	गेहूँ	0.05
		चावल	0.05
		सोयाबीन तेल	0.05
		बिनौले का तेल	0.05
105.	प्रिटिलाक्लोर	चावल	0.05
106.	फ्लूवालिनैट	बिनौले का तेल	0.05
107.	मेटासल्फ्यूरोन मिथाइल	गेहूँ	0.1
108.	मैथाबीजथियाजूरोन	गेहूँ	0.5
109.	इमाजिथापायर	सोयाबीन का तेल	0.1
		भूंगफली का तेल	0.1
110.	साइहलोफोप ब्यूटाइल	चावल	0.5
111.	ट्रायलैट	गेहूँ	0.05
112.	स्पिनोसाड	बिनौले का तेल	0.02
		पत्तागोभी	0.02
		फूलगोभी	0.02
113.	थियामेथॉक्सम	चावल	0.02
114.	फेनोब्यूकार्ब	चावल	0.01
115.	थियोडायाकार्ब	बिनौले का तेल	0.02
116.	एनिलोफोस	चावल	0.1
117.	फिनोक्सी-प्रोप-पीथाईल	गेहूँ	0.02
		सोयाबीन का तेल	0.02
118.	ग्लुफोसिनाटे-अमोनियम	चाय	0.01
119.	क्लोडिनाफोप-प्रोपानायल	गेहूँ	0.1
120.	डाइथियानोन	सेब	0.1
121.	कियाजिन	चावल	0.2
122.	आइसोप्रोथियोर्लिन	चावल	0.1

(1)	(2)	(3)	(4)
123.	एसिटाभाइप्रिड	बिनौले का तेल	0.1
124.	साइमोक्सानिल	अंगूर	0.1
125.	ट्रायाडाइमिफोन	गेहूँ	0.5
		मटर	0.1
		अंगूर	2.0
126.	फोसिटाइल-ए	अंगूर	10
		ईलाइची	0.2
127.	आइसोप्रोट्यूरोन	गेहूँ	0.1
128.	प्रोपरजाईट	चाय	10.0
129.	डाईफिनोकोनाजोल	सेब	0.01
130.	बी-साइफ्लूथिन	बिनौला	0.02
131.	इथोफेनप्रोक्स	चावल	0.01
132.	बाईफेनथ्रिन	बिनौला	0.05
133.	बेनफ्युराकार्ब	लाल चना	0.05
		चावल	0.05
134.	क्यूजालोफोप-ईथाइल	सोयाबीन का बीज	0.05
135.	फ्लूफेनासेट	चावल	0.05
136.	ब्यूप्रोफेजिंग	चावल	0.05
137.	डाईमैथोसोर्फ	अंगूर	0.05
		आलू	0.05
138.	क्लोरफिनोपायर	फूलगोभी	0.05
139.	इंडोक्साकार्ब	बिनौला	0.1
		बिनौले का तेल	0.1
		फूलगोभी	0.1
140.	मेटाइरम	टमाटर	5.0
		मूंगफली के बीज	0.1
		मूंगफली के बीज का तेल	0.1
141.	ल्यूसेंटुरोन	फूलगोभी	0.3
142.	कारप्रोपामिड	चावल	1.0
143.	नोवालुरोन	बिनौला	0.01
		बिनौले का तेल	0.01

1	2	3	4
		टमाटर	0.01
		फूलगोभी	0.01
144.	ओक्साडायजिल	चावल	0.1
145.	फाइराजोसल्फ्यूरोन ईथाइल	चावल	0.01
146.	क्लोमाजोन	चावल	0.01
		सोयाबीन के बीज	0.01
		सोयाबीन के बीज का तेल	0.01
147.	टेबूकोनाजोल	गेहूँ	0.05
148.	प्रोपाइनेव	सेब	1.0
		अनार	0.5
		आलू	0.5
		हरी मिर्च	2.0
		अंगूर	0.5
149.	थियोक्लोप्रिड	बिनौला	0.05
		बिनौले का तेल	0.05
		चावल	0.01

* जल में घुलनशील है, इसलिए वसा आधार पर उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजन के लिए -

(क) "कीटनाशी" पद का वही अर्थ होगा जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) में है;

(ख) जब तक अन्यथा कथित न किया गया हो-

(i) अधिकतम संपूर्ण उत्पाद के आधार पर मि.ग्रा./कि.ग्रा. में अभिव्यक्त किए गए हैं;

(ii) सभी खाद्य वाणिज्यगामी कृषि उत्पादों के प्रति निर्देश करते हैं।

2.3.2 : प्रतिजीवाणु और अन्य औषधीय रूप से सक्रिय तत्व :

(1) समुद्री खाद्य, जिसमें समुद्री केकड़ा, झोंगा या अन्य किस्म की मछली और मछली उत्पाद सम्मिलित हैं, पर नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित प्रतिजीवाणु की मात्रा की सहाय सीमा स्तम्भ (3) में विहित सीमा से अधिक नहीं होगी -

सारणी

क्र.सं.	प्रतिजीवाणु का नाम	सहाय सीमा मि.ग्रा./ कि.ग्रा. (पीपीएम)
1.	टेट्रासाइक्लिन	0.1
2.	आक्सी टेट्रासाइक्लिन	0.1
3.	ट्राइमेथोप्रिम	0.05
4.	आक्सोलिनिक अम्ल	0.3

(2) किसी समुद्री खाद्य इकाई में, जिसमें समुद्री केकड़ा, झींगा या अन्य किस्म की मछली और मछली उत्पाद भी सम्मिलित है, प्रसंस्करण में निम्नलिखित प्रतिजैविकों और अन्य औषधीय रूप से सक्रिय तत्वों में से किसी के उपयोग पर प्रतिषेध होगा -

- (i) सभी नाइट्रोफ्यूरेन, जिसमें सम्मिलित हैं
- (ii) फ्यूरेलटाडोन
- (iii) फ्यूराजोलिडोन
- (iv) फ्यूराइलफ्यूरामाइड
- (v) नाइफ्यूरेटेल
- (vi) नाइफ्यूरोजाइम
- (vii) नाइफर पराजाइन
- (viii) नाइट्रोफरनेटोन
- (ix) नाइट्रोफ्यूराजोन
- (x) क्लोरामफेनिकाल
- (xi) नियोमाइसिन
- (xii) नालीडाइक्सिक अम्ल
- (xiii) सल्फा मेथेकसाजोल
- (xiv) अरिस्टोलोचिया एसपीपी और उसकी विनिर्मितियां
- (xv) क्लोरोफार्म
- (xvi) क्लोरोप्रोमेजाइन
- (xvii) कोलचिस्ताइन
- (xviii) डेफसाने
- (xix) डाइनेट्राइमजोल
- (xx) मीट्रोनाइडाजोल
- (xxi) रोनाइडाजोल
- (xxii) इपरोनाइडाजोल
- (xxiii) अन्य नाइट्रोमाइडाजोल्स
- (xxiv) क्लेनब्यूटिरोल
- (xxv) डाइथिलसिस्टेक्स्टोल (डोईरिन)
- (xxvi) सल्फानोथाइड ड्रग्स (सिवाय अनुमोदित सल्फाडाइमिथोक्विलोन, सल्फा त्रिमेथोक्वोजोन, सल्फा फेडथेक्वोथेराइडोलाइन)
- (xxvii) फ्लूओरोक्विनोलोन
- (xxviii) ग्लाइकोपेप्टाइड्स

जी. एन. गौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/187-अ/11/असं.]